रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-128/90 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 1990/वैशाख 22, 1912
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 1990/VAISAKHA 22, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1990

सा.का.नि. 384.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रलेखन सहायक (गृह मंत्रालय) भर्ती (नियम, 1980 को जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रलेखन सहायक (गृह मंत्रालय) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियम के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।"

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1990

सा.का.नि. 293 :– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी के सिविल निर्माण पक्ष में समूह "क" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (मुख्य वास्तुविद) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

9. निरर्हता : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय यह है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य वास्तुविद	1* (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित अननुसचिवीय	5100-150-5700 रु.	चयन	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी) न कि वह अंतिम

		तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्थापत्यकला में डिग्री या समतुल्य। (2) 14 वर्ष का वास्तविक अनुभव। (3) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन वास्तुविद् परिषद् से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। टिप्पण 1- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय : (1) स्थापत्यकला में मास्टर डिग्री। (2) नगर और ग्राम योजना में डिग्री या डिप्लोमा।	नहीं	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन ऐसा ज्येष्ठ वास्तुविद जिसने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है।

	12
	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 4500-5700 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जिन्होंने 4100-5300 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, या (4) जिन्होंने 3700-5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 7 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति। (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी —सदस्य 4. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन —सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि) के संबंध में विचार करने के लिए) 1. संयुक्त सचिव —अध्यक्ष 2. मुख्य इंजीनियर आकाशवाणी सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक करना है।

[सं. 301/7/88-टी (ई.)]

पी. एम. रामू, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 16th April, 1990

G.S.R. 293.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' post in the Civil Construction Wing of All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Chief Architect) Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whethr selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Chief Architect (1993)	1* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5100-150-5700	Selection

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
No	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential : (i) Degree in Architecture from a recognised University or equivalent (ii) 14 years, professional experience. (iii) Should be registered with the Council of Architects under the Architects Act, 1972. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commision is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Master's degree in Architecture. (ii) Degree or Diploma in the Town and Country Planning.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
9	10	11	12
No	One year for direct recruits only	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Senior Architect with 7 years regular service in the grade under the Ministry of Information and Broadcasting. Transfer on Deputation : Officers under the Central/State Governments/Union Territories : — (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 2 years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500-5700/- or equivalent; or (iii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 4100-5300 or equivalent; or (iv) with 7 years' regular service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits in column 8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed five years).

If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member UPSC—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member 3. Engineer-in-Chief, All India Radio—Member 4. Engineer-in-Chief, Doordarshan—Member Group 'A' DPC (for considering confirmation) 1. Joint Secretary—Chairman 2. Engineer-in-Chief, AIR—Member 3. Engineer-in-Chief, Doordarshan—Member Note : —The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officer for appointment by transfer on deputation.

[No. 301/7/88-B(D)]
P.M. RAJU Under Secy.